राजस्व प्रार्थना पत्र 208/2018 अनवान श्रवणराम पुत्र भागसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.06.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित उभपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस गत पेश दिनांक 07.06.2018 को सुनी गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्त द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के कब्ज काश्त की भूमि चक 3 एल. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्य 40/34 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 20 क शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त कर रहा है में अप्रार्थीगण को किसी भी अन्य क सहायता से जबरन बेदखल करने से पाबन्द किया जाकर दिनांक 24.05.201 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हु कथन किया कि प्रकरण से सम्बंधित अन्य प्रकरण संख्या 212/2016 अनवा नत्थुराम बनाम श्रवणराम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2017 क निर्णय पारित किया गया था जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमे में अपील दर्ज हो चुकि है, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमे द्वारा रिकार्ड भी तलब कर लिया गया है इस प्रकरण से सम्बंधित प्रकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होनें के कारण प्रार्थी क प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य होने से दिनांक 24.05.2018 को जा अस्थाई निषेधाज्ञा को भारी खर्चे के साथ खारिज की जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावल का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि इस उक्त प्रकरण सन्दर्भ में इस न्यायालय मे पूर्व विचाराधीन प्रकरण संख्या 212/2016 अनवा नत्थुराम बनाम श्रवणराम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2017 क निर्णय पारित किया गया था जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमे में अपील दर्ज होनें पर माननीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड को तलब कि जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है।

अतः उक्त प्रकरण से सम्बंधित अन्य प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड अजमेर में विचाराधीन होनें के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय से स्थग आदेश प्राप्त करनें सम्बंधी चाहा गया अनुतोष पोषणीय नहीं होनें से स्वीका किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः दिनांक दिनांक 24.05.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारि किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्य 83/2018 के संलग्न हो दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनाक 11.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्व अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लो अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)